FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत सहायक कलक्टर SDO मुकाम बायतु

कोशलराम बनाम हेमलाराम वगैरह

किस्म मुकदमा 53,188 Ht act नं 116/2020 सन

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.07.2020	~~प्रार्थी~~/वादी/~~अपीलांट~~ के वकील श्री नरपतसिंह ने यह ~~प्रार्थना पत्र~~/वाद/~~अपील~~ धारा 53,188 Ht act राजस्थान काश्तकारी/~~भू राजस्व~~ अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। ~~विप्रार्थी~~ /प्रतिवादी/~~रेस्पोंडेंट~~ जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 19/08/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
19/08/2020	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या-2 व 4 से 6 की ओर से वकील श्री किशनाराम द्वारा वकालातनामा व जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया, काउन्टर क्लेम की प्रति वादी वकील को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश में पधारे हुए हैं अतः मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 08/09/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:51:37 IST
Reason: SelfAttested

08/09/2020

वादी व प्रतिवादी संख्या- 2 व 4 से 6 के ... उपस्थित। प्रतिवादी संख्या- 1, 3 व 8 बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई प्रतिवादी संख्या- 1, 3 व 8 स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा प्रतिवादी संख्या- 1, 3 व 8 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वादी व प्रतिवादी संख्या- 2 व 4 से 6 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, वादी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया की वादी व प्रतिवादी संख्या- 1 से 6 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा- लीलासर पटवार मण्डल - ढोलू तहसील- बायतु में खसरा नम्बर- 633 रकबा - 128.01 बीघा (20.7185) हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या- 1 से 6 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है सभी पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की जमीन पर काबिज है। तथा काश्त करते आ रहे है लेकिन राजस्व रेकर्ड में बंटवारा किया हुआ नहीं है। उक्त विवादित भूमि में वादी का 12.00 बीघा यानि 240/2561 हिस्सा खातेदारी का है उक्त हिस्से पर वादी काबिज है लेकिन राजस्व रेकर्ड में बंटवारा नहीं किया हुआ होने से वादी द्वारा यह वाद बंटवारे का पेश किया गया।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामिल शुदा प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या- 2 व 4 से 6 की ओर से वकील श्री किशनाराम द्वारा जवाबदावा मय काउंटर क्लेम पेश किया जाकर वादी के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या- 2 व 4 से 6 का बंटवारा करने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी संख्या- 1, 3 व 8 बावजूद तामील अनुपस्थित रहे जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

विवेक व्यास

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:51:37 IST
Reason: SelfAttested

क्रम	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दोनों पक्षों के अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी का वाद व प्रतिवादी संख्या-2 व 4 से 6 का जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी मौजा-लीलाणा पटवार मण्डल-कोलू तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर में खेत खसरा नम्बर-633 रकबा-128.01 बीघा भूमि में वादी का 240/2561 वाँ हिस्सा, प्रतिवादी संख्या-2 का 1/9 वाँ हिस्सा, प्रतिवादी संख्या-4 का 1/9 वाँ हिस्सा प्रतिवादी संख्या-5 का 1/9 वाँ हिस्सा व प्रतिवादी संख्या-6 का 1601/10244 वाँ हिस्सा की भूमि का तहसीलदार बायतु नाई मिटस एण्ड बाउण्ड्स कब्जे काश्त अनुसार पक्षकारों के मध्य आवागमन हेतु सामलाती रास्ता छोड़ते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये। डिग्री पर्चा जारी होकर विभाजन प्रस्ताव के इन्तजार में पत्रावली दिनांक 30/09/2020 को पेश हो। [signature] 8.9.2020 सहायक कलक्टर (SDO)	
30/09/2020	वकलाय फरीकैन उपस्थित। तहसीलदार बायतु से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है इन्तजार होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 14/10/2020 को पेश हो। [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:31:37 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
14/10/2020	—वादी व प्रतिवादी संख्या-2 व 4 से 6 के वकील उपस्थित। तहसीलदार बायतु से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार बायतु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई, दोनों पक्षों के अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। अतः तहसीलदार बायतु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन किया जाता है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	नाम ग्राम	ख०नं०	रकबा	किस्म	लगान
1.	कैशाराम पुत्र पदमाराम कौम जाट सा० डेह खातेदार	लीलासर	633	1.9220	बा०दो०	0.11
2.	अचलाराम पुत्र चुतराराम जाति जाट सा० डेह खातेदार रहन:-SBBJ शाखा बायतु के पक्ष में	लीलासर	633	3.4180	बा०दो०	0.20
3.	चैनाराम पि० भोजाराम 1/3 पदमाराम पि० भोजाराम 1/3 मेहराराम पि० भोजाराम 1/3 जाति जाट सा० डेह खातेदार	लीलासर	633	6.8360	बा०दो०	0.41
4.	जालुराम पि० हीराराम जाति जाट सा० डेह खातेदार	लीलासर	633	5.1270	बा०दो०	0.31
5.	मालाराम पि० हीराराम कौम जाट सा० डेह खातेदार	लीलासर	633	3.2052	बा०दो०	0.20
6.	कैशाराम पि० पदमाराम 240/2561 हिस्सा जाति जाट सा० डेह अचलाराम पि० चुतराराम 1/6 हिस्सा जाति जाट सा० डेह	लीलासर	633	0.2103	बा०दो०	0.01

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:51:37 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	चैनाराम पु० भोजाराम 1/9 हिस्सा पदमाराम पु० भोजाराम 1/9 हिस्सा मेहराराम पु० भोजाराम 1/9 हिस्सा जाति- जाट सा० डेह खातेदार जालुराम पु० हीराराम 1/4 हिस्सा जाति जाट सा० डेह खातेदार मालाराम पु० हीराराम 1601/10244 हिस्सा जाति जाट सा० डेह खातेदार उपरोक्तानुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव का नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बायतु निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करे। डिक्री पर्चा जारी होकर पत्रावली कैमल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:51:37 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम **डिकरी व मुकदमे इब्तदाई**

Jud/Civil
Part IV-10

[अदा]लत सहायक कलक्टर एंव S.D.O. मुकाम बायतु
श्री विवेक व्यास RAS
[बना]म .... बनाम ....
डालाराम अचलाराम वगैरा
[दावा] बाबत रा० का० 53,188 RTAct

मुकदमा नं. 116/2020 सन् 2020

यह मुकदमा आज इनाफिसाल कलई रूबरू न्यायालय

व हाजरी श्री नरपत प्रजापत एड० मिनजानिब मुदई व —

श्री किशनाराम एड० मिनजानिब मुदायली पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादी का वाद व प्रतिवादी संख्या - 2 व 4 से 6 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव का नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बायतु निर्णय अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें। खर्चा वाद पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

कौम .... मुबलिंग .... बाबत् ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से

तारीख बसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14 माह 10 20.20 को जारी की गई।

दस्तखत [signature]

मुहर .... [stamp: सहायक कलक्टर (SDO) बायतु]

ओहदा सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

मुदई	रूपया	पै.	मुदई	रूपया	पै.
स्टाम्प अजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमीशनर			फीस कमीशनर		
बाबत इजराल हुकमनामा			बाबत इजराज हुकमनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया ... दर्ज करनी चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:51:37 IST
Reason: SelfAttested

बादी

1. डोशालाराम पुत्र पदमाराम
उम्र-36 साल जाति-जाट
निवासी- नरसाली नाडी (कोलू)
तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादी

1. अचलाराम पुत्र ...
2. चेनाराम पुत्र भो...
3. जालूराम पुत्र हीरा...
4. पदमाराम पुत्र भोजाराम
5. मेहराराम पुत्र भोजाराम
6. मालाराम पुत्र हीराराम
जातिमान-जाट
निवासीयान-लीलासर (कोलू)
तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर
7. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बायतु
8. श्रीमान शाखा प्रबन्धक
SBBJ बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

डिकरी ... हस्ताक्षर ... उपखण्ड ... विवाद ... कोर्ट ... प्रा. वाद 53/188 RTA ... 116/20
यह मुकदमा आज इस ... जारी ...

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:51:37 IST
Reason: SelfAttested

Jud/Civil
Part IV-10

प्रपत्र 3 डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

सहायक कलक्टर एवं S.D.O. श्री विवेक व्यास R.A.S. मुकाम बायतु

कोशलाराम बनाम अचलाराम वगैरा

रा० वाद 53,188 RTAct

नं. 116/20 सन् 2020

यह मुकदमा आज इनाफिसाल कलई रूबरू न्यायालय

हाजरी श्री नरपत पूनड़ एड० मिनजानिब मुदई व —

— मिनजानिब मुदायली पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादी का वाद व प्रतिवादी संख्या- 2 व 4 से 6 का जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी मौजा- लीलासर परगना हल्का- कोलू तहसील-बायतु में स्थित खसरा नम्बर- 633 रकबा- 128.01 बीघा भूमि में वादी का 240/2561 वाँ हिस्सा, प्रतिवादी संख्या- 2 का 1/9 वाँ हिस्सा, प्रतिवादी संख्या- 4 का 1/9 वाँ हिस्सा, प्रतिवादी संख्या- 5 का 1/9 वाँ हिस्सा व प्रतिवादी संख्या- 6 का 1601/10244 वाँ हिस्सा की भूमि का तहसीलदार बायतु बाई मिटस एण्ड बाउण्ड कब्जे काश्त अनुसार पक्षकारों के मध्य आवागमन हेतु सामलाती रास्ता छोड़ते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें।

कौम ✓ मुबलिंग बाबत् ✓

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह ✓ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ✓ को अदा करें।

बसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08 माह 09 20 20 को जारी की गई।

दस्तखत विवेक व्यास

ओहदा सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

मुहर

मुदई	रूपया	पै.	मुदई	रूपया	पै.
स्टाम्प अजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमीशनर			फीस कमीशनर वादी —	500/-	
बाबत इजराल हुकमनामा			बाबत इजराज हुकमनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजाना		

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं जाहिर किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:01:07 IST
Reason: SelfAttested

बनाम

वादी

1. कौशलाराम पुत्र पदमाराम
उम्र-36 साल जाति-जाट
निवासी- नरसाली नाडी (कोलू)
तहसील-कोलू जिला-बाड़मेर

प्रतिवादी

1. अचलाराम पुत्र ...
2. चेनाराम पुत्र ...
3. जालुराम पुत्र हीरा...
4. पदमाराम पुत्र भोजाराम
5. मेहराराम पुत्र भोजाराम
6. मालाराम पुत्र हीराराम
जातियान-जाट
निवासीयान-लीलासर (कोलू)
तहसील-कोलू जिला-बाड़मेर
7. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बायतु
8. श्रीमान शाखा प्रबन्धक
SBBJ ~~कोलू~~ बायतु

8.9.2020
सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

श्रीमान ...
सेवामें.

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:51:37 IST
Reason: SelfAttested